न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 09/2017
जीसीएमएस नम्बर : 2017/00368

प्रार्थीः	बनाम	अप्रार्थीगणः
सरकार जरिये तहसीलदार सोजत		1. राजूसिंह पुत्र रामसिंह 2. नेनूसिंह 3. जेठूसिंह पुत्रगण प्रेमसिंह 4. खीमसिंह 5. चन्द्रसिंह 6. घीसासिंह 7. लालसिंह पुत्रगण डुंगरसिंह जातिगण रावत निवासीगण रायराकलां खुर्द

"अन्तर्गत नियम 20 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना सरकारी पैरोकार।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/04/2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा ग्राम रायराखुर्द के खसरा नम्बर 1396, 1397 रकबा क्रमशः 0.27, 0.27, 0.26 हैक्टयर भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये नियमन आदेश दिनांक 04.01.2008 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम रायराकला खुर्द तहसील सोजत में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय रायराकलां के खसरा नम्बर 1396, 1397 रकबा क्रमशः 0.27, 0.27, 0.26 हैक्टयर भूमि पर अप्रार्थीगण का अतिक्रमण होने से उक्त भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 04.01.2008 को आवंटन आदेश जारी किया गया। उक्त आवंटन/नियमन भूमि का राजस्व रेकर्ड में कहीं भी इन्द्राज होना नहीं पाया गया, न ही अप्रार्थीगण द्वारा वक्त आवंटन से आदिनांक तक किसी प्रकार का कृषि कार्य किया गया तथा

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

वर्तमान में उक्त आराजी मौके पर खाली है एवं राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी पर अतिक्रमण अप्रार्थीगण के एक पूर्वज द्वारा किया गया था जिस पर बाद में अतिक्रर्मी के परिवार के सदस्यों द्वारा सयुंक्तरूप लगातार अतिक्रमण रहा है ऐसे में आवंटन अधिकारी द्वारा वक्त आवंटन अतिक्रमण के परिवार के सदस्यों/विधिक वारिसानों/उत्तराधिकारियों की जांच कर आवंटन आदेश जारी करना था लेकिन जैर आवंटन आदेश जारी करते समय ऐसा नहीं किया जाकर अतिक्रमी रामसिंह, प्रेमसिंह, डुंगरसिह के सभी वारिसानों के नाम आवंटन करने की बजाय केवल मात्र अप्रार्थीगण के नाम ही आवंटन आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। आवंटन नियमों के तहत रेगिस्तानी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी/आवंटन अधिकारी को छः हैक्टयर की कुल सीमा में रहते हुए अतिक्रमी को 2.5 हैक्टर तक भूमि आवंटन करने का अधिकार है एवं जिले में सामान्य श्रैणी के अतिक्रमित के पक्ष में 4 हैक्टर की निर्धारित सीमा से अधिक अतिक्रमित भूमि की नियमन पास की कृषि भूमि बाजार दर के 50 प्रतिशत के बराबर प्रभावित कर निर्धारित किया गया है। जबकि जैर आवंटन आदेश पारित करते समय सलाहकार समिति ने अप्रार्थीगण के पक्ष में निशुल्क आवंटन/नियमन किया गया जो काबिल खारिज योग्य है। आवंटन/नियमन के लिए आवंटी भूमिहिन होना आवश्यक है। लेकिन जैर आवंटन आदेश जारी करते समय आवंटन अधिकारी ने आवंटी के पिता के पास 4.32 हैक्टर खातेदारी भूमि होते हुए भी जैर आवंटन आदेश पारित कर दिया जो नियम विरूद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि आवंटन अधिकारी ने समस्त आवंटन नियमों की पालना करते हुये जैर आवंटन आदेश जारी किया है। जैर आवंटन आराजी पर अप्रार्थीगणं के पूर्वजों का कब्जा था जिसकों अप्रार्थीगण वर्षो से मेहनत कर जैर आराजी को उपजाउ बनाया है, जिस पर अप्रार्थीगण आदिनांक तक कब्जाकाश्त करते आ रहे है जिसके आधार पर उन्हें अतिक्रमी मानते हुए जैर आवंटन आदेश जिला कलक्टर महोदय के अनुमोदन पर पारित किया है। आवंटन पूर्व जैर आराजी पर रामसिंह प्रेमसिंह व डुंगर सिंह के पास सयुक्त रूप से 4.3200 हैक्टर खातेदारी भूमि थी ऐसे में प्रत्येक के हिस्से में 1.4400 हेक्टर भूमि आती है जिसे आवंटन नियमों में भूमिहीन की श्रैणी में माना जाता है। ऐसे मे आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार अप्रार्थीगण के नाम अतिक्रमित कृषि भूमि का आवंटन किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2011 पेज संख्या 659 गोविन्द नारायण/सरकार, आरआरडी 2011 पेज 571 वल्लभदास/सरकार, आरआरडी 2017 पेज 61 पानी/सरकार, आरआरडी 2016 पेज 587 एलआर खाटु/पुनिया, आरआरडी 2013 पेज 516 प्रमोद कुमार/सरकार, आरआरडी 2012 पेज 550 लच्छाराम/सरकार, आरआरडी 2012 पेज 306 जगन्नाथ/रामकृष्ण पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

हमने सरकारी पैराकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं रेकर्ड का अवलोकन किया एवं न्यायिक दृष्टांत पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा ग्राम रायराकलां खुर्द के खसरा नम्बर 1396,1397 रकबा क्रमशः 0.27,0.27,0.26 हैक्टयर भूमि दिनांक 04.01.2008 को किए गए भू–आवंटन आदेश के विरूद्ध पेश किया है। सरकारी पैरोकार का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि अप्रार्थी ने कमेटी के समक्ष जैर आराजी के नियमन हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया और न ही भूमिहीन की पात्रता के सम्बन्ध में कोई जांच की गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने सरकारी पैरोकार के उज्र का खण्डन करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा कमेटी के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर विधिनुसार कार्यवाही की जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में राजस्व अभियान 2008 के तहत दिनांक 04.01.2008 को ग्राम पंचायत मुख्यालय रायराकलां में सिवायचक भूमि पर काबिज काश्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमियों के पक्ष में नियमन/आवंटन करने हेतु आवंटन सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया जिसमें तहसीलदार सोजत, विकास अधिकारी सोजत एवं सरपंच ग्राम पंचायत रायराकलां को सदस्य मनोनित किया गया। उक्त कमेटी के समक्ष कुल 3 प्रकरण नियमन/आवंटन हेतु प्राप्त हुये, जिसमें से एक प्रकरण जैर आवंटन आदेश से सम्बन्धित था। प्रश्नगत आदेश वर्ष 2008 में पारित किया गया, जबकि अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा नियमन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है। अतः बिना आवेदन के ही की गई कार्यवाही नियम, 20 राजस्थान भू–राजस्व नियमों के प्रतिकूल होकर अवैध एवं निरस्त करने योग्य है, जैसा कि माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Smt. Shanti Devi vs State of Rajasthan में प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त नियमन आदेश पारित करते समय सम्बन्धित व्यक्ति की पात्रता (भूमिहीन होना) के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जबकि नियमन से पूर्व नियम 20 के तहत अतिचारी भूमिहीन कृषक है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में स्पष्ट जांच आज्ञापक थी, जो कि प्रकरण में नहीं की गई। इस प्रकार पात्रता के सत्यापन के बिना किया गया नियमन आदेश मनमाना एवं विधि विरूद्ध है, जो कि न्यायिक दृष्टान्त Collector, Jaipur vs Nand kishore, RIICO vs Subhash Sindhi Cooperative Housing Society के सिद्धान्तों के विपरीत है। साथ ही नियमन से पूर्व आवश्यक जांच, स्थल निरीक्षण एवं सक्षम अधिकारी की रिपोर्ट का अभाव है, जिससे स्पष्ट है कि नियमन की पूरी प्रक्रिया विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही सम्पन्न की गई। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर अवैध है, जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त State of Rajasthan vs Harphool Singh में प्रतिपादित किया गया है।

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सरकारी पैरोकार का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि अप्रार्थी का जैर आराजी पर वास्तविक तथा निरन्तर कब्जा काश्त नहीं रहा। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर आराजी पर अप्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा काश्त है तथा मौके पर काबिज है। इस सम्बन्ध में पटवार हल्का से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.01.2022 के अनुसार ग्राम रायराकलां खुर्द के सरकारी खसरा संख्या 1396 व 1397 पर सम्वत् 2053, 2054, 2055, 2061, 2063, 2064 में अतिक्रमण किया गया था, इसके अतिरिक्त किसी भी वर्ष में अतिक्रमण नहीं होने के कारण धारा 91 की कार्यवाही नहीं की गई, साथ ही उपलब्ध दस्तावेज यथा खसरा परिवर्तनशील पी–14 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उपर वर्णित समय में ही अप्रार्थीगण द्वारा जैर आराजी पर अतिक्रमण कर काश्त की गई थी, इसके अतिरिक्त किसी भी वर्ष में जैर आराजी पर अप्रार्थी का कोई कब्जा/काश्त नहीं थी। अभिलेखों के अनुसार अप्रार्थी द्वारा केवल कुछ वर्षों (1996–97, 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2006–07) में ही भूमि पर फसल बोई जाना दर्शाया गया है, जो कि खसरा परिवर्तनशील से प्रमाणित है किन्तु इन आंशिक प्रविष्टियों से यह सिद्ध नहीं होता कि अप्रार्थी का भूमि पर निरन्तर, निर्बाध एवं विधिसम्मत कब्जा था। मध्यवर्ती वर्षों में कब्जा रहा अथवा नहीं, इसका कोई अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः निरन्तर कब्जा सिद्ध न होने के कारण नियमन आदेश का आधार ही समाप्त हो जाता है। अर्थात् जैर आराजी पर अप्रार्थीगण पर सतत् कब्जा हो ऐसे कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश किये गये। जैर आराजी वर्तमान सरकारी खाते में दर्ज है तथा केवल अप्रार्थी के सिमित समय के अतिक्रमण के आधार पर प्रश्नगत नियमन आदेश पारित किया गया जबकि आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटी को भूमि पर स्वयं काश्त करना एवं निरन्तर कब्जा बनाए रखना आवश्यक था। यह शर्त राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970) के अधीन अनिर्वाय प्रकृति की है। प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी का भूमि पर न तो वास्तविक कब्जा स्थापित किया गया और न ही निरन्तर काश्त की गई, जो कि मूल एवं अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Meghmala vs G. Narasimha Reddy में यह स्पष्ट किया कि अवैध कब्जा कोई वैध अधिकार उत्पन्न नहीं करता, साथ ही न्यायिक दृष्टान्त Jagpal Singh vs State of Punjab में यह प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत है। अतः ऐसा कथित कब्जा नियमन का वैध आधार नहीं बन सकता। अभिलेखों में केवल आवंटन/नियमन रजिस्टर ही उपलब्ध है, जबकि मूल आदेश, आवेदन जांच रिपोर्ट आदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। केवल रजिस्टर प्रविष्टि के आधार पर अधिकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अतः ऐसा नियमन ओदश विधिसम्मत नहीं है, जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त State of Rajasthan vs Nathu Ram में कहा गया है। उपुर्यक्त समस्त तथ्यों से यह प्रमाणित है कि प्रश्नगत

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

नियमन आदेश बिना आवेदन, बिना पात्रता एवं बिना विधिक प्रक्रिया के पारित किया गया, जो कि पूर्णतः मनमाना है एवं प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी का आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गया जैर नियमन आदेश विधि विरूद्ध होने से यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नियमन आदेश को निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है तथा आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा ग्राम रायराखुर्द के खसरा नम्बर 1396, 1397 रकबा क्रमशः 0.27, 0.27, 0.26 हैक्टयर भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये नियमन आदेश दिनांक 04.01.2008 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सोजत प्रश्नगत आराजी का कब्जा बहक राज प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर पालना प्रस्तुत करें। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)